न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 70/2019

1 उमाराम पुत्र जोधाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बजाड़ान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 रामेश्वरलाल पुत्र जोधाराम।
2 पतासी पत्नी जोधाराम।
3 छोटी देवी पत्नी रामेश्वरलाल।
4 परमेश्वरी पत्नी उमाराम।
5 मूलाराम दत्तक पुत्र कुम्भाराम।
6 मूलाराम पुत्र अर्जुन।
7 परमेश्वरी पत्नी जगनसिंह।
8 धर्मपाल पुत्र जगनसिंह।
9 भंवरलाल पुत्र तुलछाराम।
10 नेमीचन्द पुत्र तुलछाराम।
11 प्रेमचन्द पुत्र कानाराम।
12 भंवरी देवी पत्नी कानाराम।
13 परमेश्वरी पत्नी मूलचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी बजाड़ान तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
15 सीकर केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड शाखा नेछवा जिला सीकर।
16 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रूल्याणी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 पटवारी हल्का भिलूण्डा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
18 उप पंजियक नेछवा उपतहसील नेछवा जिला सीकर।
19 नायब तहसीलदार नेछवा उपतहसील नेछवा जिला सीकर।
20 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये भूधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर पीठासीन अधिकारी डॉ. कुलराज मीना आर.ए.एस. राजस्व वाद संख्या 12/2016 उनवानी उमाराम बनाम रामेश्वरलाल वगैरह दिनांकित 02.08.2019

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारीलाल शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 05.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 12/2016 में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2019 विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट द्वारा प्रतिवादी रेस्पोडेंट के विरूद्व भूमि खसरा नम्बर 1/1,59/1, 1/2,56/1,58/1 वाके ग्राम ढ़ाणी बजाड़ान तहसील लक्ष्मणगढ़ बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने जवाब दावा एवं काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन की प्राथमिक डिक्री की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, अपीलांट की सुनवाई किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा इस निर्णय हेतु कोई सहमती प्रदान नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लेम पर भी कोई निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नम्बर 1/1,1/2, 59/1,56/1,58/1 के सन्दर्भ में विधि अनुसार विभाजन का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन आदेश से बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचाराधीन आदेश में भूमि विशेष के सन्दर्भ में कोई आदेश पारित नही किया गया है। विचाराधीन आदेश वादी अपीलांट द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार ही है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलांट आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। इस स्तर पर अपीलांट की अपील सारहीन है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना किये बिना, अपीलांट की सुनवाई किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा इस निर्णय हेतु कोई सहमती प्रदान नही की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा काउन्टर क्लेम पर भी कोई निर्णय पारित नही किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि समस्त पक्षकारों की सम्यक तामील करवाने के उपरान्त जवाब दावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.01.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर